



उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 85 / 2042-0006 / 17 दिनांक : 22 / 02 / 2017

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(क्षेत्रीय)

उ०प्र० जल निगम।

झांसी/इलाहाबाद/कानपुर/मुरादाबाद/वाराणसी/फैजाबाद/आगरा/गाजियाबाद/गोरखपुर/लखनऊ।

विषय:- वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत फलैक्सी मद में गुणता प्रभावित निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं हेतु केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक 77/2042-0023(शा०)/17 दिनांक 23.01.17 द्वारा फलैक्सी मद में प्रेषित मांग के सापेक्ष राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक 734/डब्लू-409(फलैक्सी)/2017 दिनांक 02.02.2017 द्वारा फलैक्सी मद में गुणता प्रभावित निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं हेतु रू० 5113.00 लाख की धनराशि उ० प्र० जल निगम को अवमुक्त की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत फलैक्सी मद में गुणता प्रभावित निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजना हेतु प्राप्त धनराशि रू० 5113.00 लाख प्रधान कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं.-97/2313-0001/बजट/2016-17 दिनांक 22.02.17 द्वारा क्षेत्रों को अवमुक्त कर दी गई है। कृपया संबंधित जनपदों को संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि तत्काल अवमुक्त करने का कष्ट करें।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	कुल प्रस्तावित धनराशि (रू० लाख में)
1	आगरा	774.99
2	इलाहाबाद	1202.97
3	फैजाबाद	696.22
4	गाजियाबाद	361.08
5	गोरखपुर	130.00
6	झांसी	160.00
7	कानपुर	179.74
8	लखनऊ	239.00
9	मुरादाबाद	831.74
10	वाराणसी	537.26
	योग	5113.00

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर० एम० त्रिपाठी)
मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ० प्र० लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय ज्ञाप सं.-97/2313-0001/बजट /2016-17 दिनांक 22.02.17 के संदर्भ में।
4. अधीक्षण अभियन्ता(ग्रामीण-1), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता(ई०डी०पी०सेल), उ० प्र० जल निगम लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे जल निगम की वेब-साइट पर डलवाने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

